



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 266 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 01 दिसम्बर, 2023

## अनर्हता सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021, विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान (HOME SCIENCE) विषय के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम-03 के अनुसार अनर्ह किया गया है:-

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	512723	<ol style="list-style-type: none"><li>अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक की उपाधि कृषि प्रसार एवं संचार (AGRICULTURAL EXTENSION &amp; COMMUNICATION) तथा नेट की उपाधि गृह विज्ञान (HOME SCIENCE) विषय में धारित की गयी है।</li><li>निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या डिग्री प्लान/3538/2023-24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 में गृह विज्ञान के समतुल्य विषय में कृषि प्रसार एवं संचार (AGRICULTURAL EXTENSION &amp; COMMUNICATION) को समतुल्य नहीं माना गया है।</li><li>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत परास्नातक गृह विज्ञान के समतुल्य विषय में कृषि प्रसार एवं संचार (AGRICULTURAL EXTENSION &amp; COMMUNICATION) को समतुल्य नहीं माने जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</li></ol>
2.	512730	<ol style="list-style-type: none"><li>अभ्यर्थी द्वारा ए0पी0आई0 में NET-JRF का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष ICMR/JRF एवं यू0जी0सी0 नेट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के बिन्दु संख्या 4(1) शैक्षिक अर्हताए के अनुसार शैक्षिक अर्हताएं यू0जी0सी0 अथवा सीएसआईआर नेट/नेट-JRF का प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का केवल यू0जी0सी0 नेट का प्रमाण वैध है। अतः अभ्यर्थी को ए0पी0आई0 स्कोर में NET-JRF 10 अंक के स्थान पर NET 08 अंक माने जाएंगे। अभ्यर्थी का ए0पी0आई0 स्कोर 93 के स्थान पर 91 होगा। अनारक्षित एवं अनारक्षित/उ0महिला की ए0पी0आई0 कट-ऑफ 93 है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी कट ऑफ में स्थान धारित नहीं करती है।</li><li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li><li>गृह विज्ञान NET-JRF नेट-जे0आर0ऑफ0 के स्थान पर नेट का प्रमाण प्रस्तुत करने के कारण 02 अंक को कम के कारण गृह विज्ञान विषय की अनारक्षित एवं अनारक्षित/उ0महिला (GEN/UF) श्रेणी की ए0पी0आई0 कट-ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न के कारण अनर्ह किया गया है।</li></ol>
3.	512828	<ol style="list-style-type: none"><li>विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li><li>पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li></ol>

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
4.	512882	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवाओं हेतु जारी दिनांक 31.08.2018 को जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 की वैधता (03 वर्ष) दिनांक 31.08.2021 को समाप्त है तथा जो कि विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 04.12.2021 से पूर्व का जारी है।</li> <li>अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक उत्तराखण्ड राज्य की ओबीसी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की आख्या/प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>ओबीसी (OBC) का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
5.	512896	<ol style="list-style-type: none"> <li>विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यूजीसी के मानक के अनुसार पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
6.	512908	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी अवार्ड का दावा किया गया है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवार्ड के 03 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) प्रदान किये गये हैं। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 55 के स्थान पर 52 होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति/उ महिला श्रेणी API कटऑफ स्कोर 55 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</li> <li>गृह विज्ञान विषय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति/उ महिला श्रेणी की एपीआई कट-ऑफ में स्थान धारित न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
7.	513033	<ol style="list-style-type: none"> <li>विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यूजीसी के मानक के अनुसार पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
8.	513128	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
9.	513172	<ol style="list-style-type: none"> <li>विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यूजीसी के मानक के अनुसार पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
10.	513201	<ol style="list-style-type: none"> <li>विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यूजीसी के मानक के अनुसार पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>पीएचडी की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
11.	513244	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड का दावा किया गया है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें रिसर्च पब्लिकेशन एवं टीचिंग अनुभव के दावे को सही माना गया है। परन्तु अवार्ड के 03 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) अंक प्रदान किये गये हैं। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 93 के स्थान पर 90 होगा। अनारक्षित एवं अनारक्षित/उ महिला श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 93 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है।</li> </ol>

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
		2. गृह विज्ञान विषय की अनारक्षित एवं अनारक्षित/उमहिला श्रेणी की ए0पी0आई0 कट-ऑफ में स्थान धारित न किये जाने कारण अनर्ह किया गया है।
12.	513254	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.11.2019 का EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मान्य वित्तीय वर्ष एवं आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष में 2019-20 का उल्लेख किया गया है, जो विज्ञापन के अनुसार वैध नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व जारी आय की गणना वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य EWS श्रेणी से आच्छादित होने के संबंध प्रमाण/आख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वांछित है।</p> <p>3. EWS श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
13.	513298	<p>1. विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के सांय 06:00 बजे (सोमवार) तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

-sd/  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।